

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या-316/2016/जयपुर
2. अपील संख्या-317/2016/जयपुर
3. अपील संख्या-318/2016/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
विशेष वृत्त द्वितीय, जयपुर।  
बनाम

.....अपीलार्थी

मैसर्स राजस्थली रिसोर्ट्स एण्ड स्टूडियो लि०,  
कूकस, जयपुर

...प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

**उपस्थित :**

श्री आर.के.अजमेरा

उप राजकीय अभिभाषक

...अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

**निर्णय दिनांक : 29.11.2017**

### निर्णय

1. अपीलार्थी—विभाग द्वारा यह तीनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 301, 302—303 / अ.प्रा.II / आरवीएटी / जयपुर / 2014—15 में पारित आदेश दिनांक 03.09.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त वृत्त-डी, जयपुर (जिसे आगे “सशक्त अधिकारी” कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.11.2014 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे “अधिनियम” कहा जायेगा) की धारा 25, 26, 55 एवं 61 के तहत पारित आदेशों में निम्नानुसार कायम मांग राशियों में कर व ब्याज को यथावत रखते हुए शास्ति के बिन्दु पर अपीलें अपास्त की एवं प्रत्यर्थी की अपीलें आंशिक स्वीकार की गई।
2. तीनों प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक—पृथक रखी जा रही है।
3. प्रकरणों के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 15.05.2014 को सशक्त अधिकारी द्वारा किया गया। वक्त सर्वेक्षण व्यवसाय स्थल से प्राप्त दस्तावेजों की जांच पर पाया गया कि व्यवहारी द्वारा बिलों में सर्विस टैक्स वसूल किया गया है किन्तु सर्विस टैक्स को विक्रय मूल्य में सम्मिलित नहीं किया जाकर इस पर वैट का भुगतान नहीं किया गया है। सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा बिलों में वसूल किये गये सर्विस टैक्स को अधिनियम की धारा 2(36) के तहत विक्रय मूल्य का भाग माना जाकर, प्रत्यर्थी द्वारा वसूले किये गये सर्विस टैक्स की राशि को विक्रय मूल्य का भाग मानते हुए इस राशि पर कर आरोपित किया गया तथा आरोपित कर के अदेय रहने के कारण अधिनियम की धारा 55 के तहत ब्याज आरोपित भी किया गया इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा करापवंचन किया जाना मानकर सशक्त अधिकारी द्वारा विवादित आदेशों में अधिनियम की धारा 61 के तहत करापवंचन की शास्ति आरोपित की गई। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यक्ति होकर व्यवहारी द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी

की अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कर व ब्याज को उचित ठहराते हुए यथावत रखा एवं निम्नतालिकानुसार शास्ति को अपास्त कर दिया, शास्ति को अपास्त करने के आदेश से व्यक्ति होकर विभाग द्वारा यह अपीलें कर बोर्ड के समक्ष धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है।

क्र.सं.	अपील संख्या	कर निर्धारण वर्ष	आरोपित शास्ति
1	316 / 2016	11-12	46,766
2	317 / 2016	12-13	2,96,136
3	318 / 2016	13-14	3,29,699

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी बावजूद सूचना अनुपस्थित।
5. अपीलर्थी—विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के तहत जो शास्ति आरोपित की गई है उसका समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।
6. उप राजकीय अभिभाषक की एकतरफा बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। शास्तियों के बिन्दु पर उद्धरित किये गये न्यायिक दृष्टान्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत वा.क.अ., ए.ई., श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लि. श्रीगंगानगर (2012) 32 टीयूडी 3 का सम्मान अध्ययन किया गया। इस निर्णय का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है :—

**"However, as far as question of penalty u/s 61 of the Act is concerned, the imposition of the same by the Assessing Authority under Section 61 of the Act of 2003 to the extent of double the amount of tax is concerned, the same cannot be sustained and deletion of penalty in these circumstances, where a debatable question was agitated by the respondent-assessee before the appellate forums created under the Act, it cannot be said the assessee deliberately filed wrong returns or particulars of taxable turnover or malafide claimed 100% input tax credit. A benefit or doubt in this regard certainly goes in favour of respondent-assessee."**

शास्ति के बिन्दु पर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय (2009) 23 वीएसटी 249 श्री कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू टैक्स अपडेट वोल्यूम 43 पार्ट 4 पेज 158 का संक्षिप्त उल्लेख निम्नानुसार है :—

**"So far as the question of penalty is concerned the items which were not included in the turnover were found incorporated in the appellant's account books, where certain items which are not included in the turnover are disclosed in the dealer's own account books and the assessing authorities includes these items in the dealers' turnovers disallowing the exemption penalty cannot be imposed. The penalty levied stands set aside."**

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन जोन—प्रथम, जयपुर बनाम मैसर्स श्याम एजेन्सी एसबी सिविल रिट पिटीशन नंबर 42 / 2014 निर्णय दिनांक 26.08.2014 का सम्मान अध्ययन किया गया। इस निर्णय का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है :—

**".....Such a dispute did not supply any of the pre conditions for levy of penalty under section 61 of the 2003 Act. The Tax Board has, for the principle on which penalty can be levied, relied upon the judgment of the Hon'ble Supreme Court in the case of Shree Krishna Electricals (supra). Oddly the revision petition does not even have a whisper of a reason for the purported inapplicability of the aforesaid judgment to**

the matter in issue before the Tax Board. Quite apparently, the petitioning revenue department seeks to overlook the facts of the case and the clear enunciation of law by the Hon'ble Supreme Court in the case of Shree Krishna Electricals (supra) as also elsewhere and mechanically agitate this misdirected revision petition. the question of law as sought to be agitated stands already settled by the judgment of the Hon'ble Supreme Court in the cases of Bharjatiya Steel Industries (supra) and Shree Krishna Electricals (supra). "

अतएव दुर्गेश्वरी फूड लि., श्रीगंगानगर (2012) 32 टीयूडी व माननीय न्यायालयों के सतत निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के दृष्टिगत अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति को अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। अतः शास्ति के बिन्दु पर विभागीय अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

7. परिणामस्वरूप अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने के कारण उन्हें यथावत रखते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत तीनों अपीलें अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)  
सदस्य